(8)

श्रीधर सी0, भा.प्र.से., जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक–23.10.2013 को किए गए प्रखण्ड कार्यालय, मोतिहारी का किए गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी।

1. **सामान्य परिचयः–**

1. जिला का नाम :– पूर्वी चम्पारण।
2. अनुमण्डल का नाम :– सदर अनुमण्डल मोतिहारी।
3. प्रखण्ड का नाम :– मोतिहारी प्रखण्ड ।

चौहद्दी :–

उत्तर :– छौडादानो प्रखण्ड
दक्षिण :– पीपरा कोठी प्रखण्ड
पूरब :– चिरैया प्रखण्ड
पश्चिम :– बंजरिया प्रखण्ड।

सामान्य इतिहास :–

मोतिहारी प्रखण्ड कार्यालय जिला मुख्यालय मोतिहारी से 04 कि0मी0 की दूरी पर एन0एच0–28 पथ से पश्चिम अवस्थित है। मोतिहारी प्रखण्ड वर्ष 1963 से कार्यरत है। वर्ष 1969 से इस प्रखण्ड में कुल 20 (बीस) पंचायत है। इस प्रखण्ड को 12 हल्कों में बाँटा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर इस प्रखण्ड की कुल जनसंख्या 3,60,324 है, जिसमें मोतिहारी नगर परिषद क्षेत्र की जनसंख्या 1,25,183 (पुरुष–67,438 महिला–57,745) है एवं देहाती क्षेत्र की जनसंख्या 2,35,141 (पुरुष 1,25,106 एवं महिला 1,10,035) है। इस प्रखण्ड में कुल रजस्व ग्रामों की संख्या–86 है, जिसमें चिरागी 83 एवं बेचिरागी राजस्व ग्रामों संख्या–03 है। 67859.25 एकड़ है तथा जिसमें कृषि योग भूमि 42103.66 एकड एवं गैर कृषि योग–25755.59 एकड़ है।

प्रखण्ड अन्तर्गत अन्य संस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) महाविद्यालय :– 05
(ख) उच्च विद्यालय :– 07
(ग) कन्या उच्च विद्यालय :– 01
(घ) उत्क्रमित मध्य विद्यालय :– 75
(ड.) प्राथमिक विद्यालय :– 113
(च) आँगनबाडी केन्द्रों की संख्या :–शहरी :– 95 देहाती क्षेत्र :– 206
(छ) प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों की संख्या :– 01
(ज) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र :– 05
(झ) उप स्वास्थ केन्द्र :– 16 है।

(2)<u>ऐतिहासिक स्थल :–</u> ग्राम पंचायत राज, चन्द्रहिया में ऐतिहासिक गाँधी स्मारक है।

(3)<u>आवासीय एवं कार्यालय भवन :–</u> प्रखण्ड के लिए भवन निर्मित है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आवासीय भवन के साथ कर्मियों के लिए भी भवन उपलब्ध है, जिसकी स्थिति जर्जर है और जीर्णोद्धार योग्य है।

(4)<u>प्रभार :–</u> वर्तमान में श्री मनोज कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोतिहारी के पद पर दिनांक–04.04.2010 से कार्यरत है। इनके पूर्व श्री विद्यानन्द सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर दिनांक–19.02.2008 से 03.04.2010 तक आसीन थे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियो का पदस्थापन की विवरणी निम्न प्रकार है –

क0	प्रखण्ड विकास पदा0 का नाम	प्रभार ग्रहण की तिथि	प्रभार देने की तिथि
1.	श्री दीनानाथ	04.02.1993	10.05.1993
2.	श्री लक्ष्मण प्रसाद	11.05.1993	10.01.1994
3.	श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह	11.01.1994	31.01.1998
4.	श्री युगल किशोर चौबे(बि0प्र0से0)	01.02.1998	30.04.1998
5.	श्री सुनील कुमार(बि0प्र0से0)	01.05.1998	14.07.2001
6.	श्री ब्रजविहारी भगत(बि0प्र0सं0)	15.07.2001	10.03.2004
7.	श्री प्रदीप कुमार(बि0प्र0से0)	10.03.2004	08.02.2006
8.	श्री जवाहर लाल सिन्हा(बि0प्र0से0)	09.02.2006	18.02.2008
9.	श्री विद्यानन्द सिंह(बि0प्र0से0)	19.02.2008	03.04.2010
10.	श्री मनोज कुमार	04.04.2010 से	आज तक

(5)<u>पूर्व निरीक्षण :–</u> इस प्रखण्ड का निरीक्षण पूर्व में निम्नांकित पदाधिकारियों द्वारा किया गया है।

क्र0	निरीक्षी पदा0 का नाम	निरीक्षण तिथि	प्रतिवेदन प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1.	परियोजना कार्यपालक पदा0, मोतिहारी	29.06.1984	18.10.1984	14.12.1984
2.	उप विकास आयुक्त पूर्वी चम्पारण मोतिहारी	14.12.1989	26.12.1989	30.05.1990
3.	उप विकास आयुक्त पूर्वी चम्पारण मोतिहारी	22.02.1990	09.03.1990	10.08.1990
4.	उप विकास आयुक्त पूर्वी चम्पारण मोतिहारी	29.06.1990	07.07.1990	10.08.1990
5.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोतिहारी	28.07.2004	–	–
6.	श्री ललन सिंह, उप विकास आयुक्त(भा0प्र0से0)	22.06.2005	–	–
7.	उप निदेशक पंचायत राज तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	08.07.2005	–	–

श्री ललन सिंह, उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं श्री कमला कुमारी, उप निदेशक, पंचायत राज एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा क्रमशः दिनांक–22.06.2005, 08.07.2005 एवं दिनांक–28.07.2013 किए गए निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन रक्षी संचिका में प्रस्तुत किया गया।

एक अन्य रक्षी संचिका जो जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किए गए प्रखण्ड के [illegible] संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। रक्षी संचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि निरीक्षण के दौरान दिए गए विभिन्न निर्देशों का अनुपालन प्रतिवेदन है, जिससे यह पता चलता है कि अनुपालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन रक्षी संचिका में नहीं है या पुराने हो जाने के कारण उसे कहीं और रख दिया गया है। निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि पूर्व में किए गए निरीक्षण का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित को भेजते हुए रक्षी संचिका में उसे संधारित किया जाय।**

(6)<u>कार्यालय</u> :– प्रखण्ड एवं अंचल भवन काफी पुराना है एवं पूर्व में 2012 में द्वादश वित्त आयोग से इसकी मरम्मति कराई गई थी तथा आर0टी0पी0एस0 काउन्टर का निर्माण कराया गया है, परन्तु परिसर में आवासीय भवनों की स्थिति काफी खराब है तथा रहने योग्य नहीं है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि चूंकि इस पुराने भवनों का जीर्णोद्धार संभव प्रतीत नहीं होता है। अतएव आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव समर्पित करें ताकि विभाग से भवन निर्माण के बिन्दु पर स्वीकृति प्राप्त की जा सके।**

(7)<u>स्थापना</u> :–प्रखण्ड में पदस्थापित/पर्यवेक्षक/कर्मियों का स्वीकृत एवं कार्यरत बल निम्न प्रकार है:–

क्र0	पदाधिकारी का पद नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	01	01	00
2.	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	01	01	00
3.	प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी	01	01	00
4.	प्रखण्ड पं0राज पदाधिकारी	01	00	01
5.	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	01	01	00
6.	प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी	01	00	01
7.	महिला प्रसार पदाधिकारी	01	01	00
8.	कनीय अभियन्ता	01	00	01

निरीक्षण टिप्पणी से स्पष्ट है कि प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी–01, प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी–01 एवं कनीय अभियन्ता का एक–एक पद स्वीकृत है, जो रिक्त है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि रिक्ति की सूचना जिला स्थापना प्रशाखा को भेजना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित विभाग से पदस्थापन हेतु अनुरोध किया जा सके।**

2515(ख) विकास

क्र0	पदाधिकारी का पद नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
01.	प्रधान सहायक	01	00	01
02.	सहायक	07	04	03
03.	जनसेवक	10	00	10
04.	अनु सेवक	04	03	01
05.	2053 जिला प्रशासन	00	00	00
06.	उर्दू अनुवादक	01	01	00
07.	सहायक उर्दू अनुवादक	01	00	01
08.	उर्दू टंकक	01	00	01
2515 क पंचायत	पंचायत सेवक	20	15	05
	प्रमुख के आदेशपाल	01	01	00
	कृषि संवर्ग के पदस्थापन की स्थिति			
01.	प्रधान सहायक	01	01	00
02.	वरीय लिपिक–सह–नाजिर	01	01	00
03.	आशुलिपिक	01	01	00
04.	टंकक	01	00	01
05.	पत्राचार लिपिक	01	01	00
06.	भण्डार पाल	09	01	08
07.	अनु सेवक	02	01	01

टंकक--01, भण्डारपाल–08 एवं अनुसेवक–01 पद रिक्त है। जिला में उपलब्ध कर्मियों की कमी की स्थिति में इन रिक्तियों को भरना संभव नहीं है।

(8)पत्राचार :– विगत तीन वर्षो का आगत एवं निर्गत पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र0	वर्ष	आगत प्राप्त पत्रो की सं0	निर्गत प्राप्त पत्रो की सं0
01.	2010	1076	2449
02.	2011	1344	3424
03.	2012	443	1352
04.	2013	662	2478

आगत एवं निर्गत पंजी का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि इसके सभी कॉलम विधिवत् रूप से नहीं भरे जा रहे है, जिससे किसी पत्र की कार्रवाई पूर्ण हुई या नहीं तथा कौन सा पत्र किसी संचिका में रखा गया है, का पता नहीं चल रहा है। **निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रधान सहायक को पत्रों का विधिवत संधारण करने का निदेश दिया गया।** निर्गत पत्रों की संख्या–2478 एवं आगत पत्रों की संख्या–662 है। पत्राचार की संख्या की स्थिति अच्छी है।

(९)उपस्थिति :–

(क) कार्यालय में उपस्थिति पंजी संधारित है।

(ख) सभी कार्यालय कर्मी के टेबुल पर नेम प्लेट उपलब्ध है।

(ग) सभी कार्यालय कर्मी के पीछे कार्य तालिका संधारित है।

(घ) रक्षी संचिका :– सभी योजनाओ से संबंधित पत्रों के लिए अलग–अलग रक्षी संचिका संधारित नहीं है। इंदिरा आवास योजना की रक्षी संचिका संधारित है तथा निरीक्षण के दौरान इसका अवलोकन किया गया, इसमें भी सभी अद्यतन पत्र चिपकाया हुआ नहीं है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि जिन योजनाओं से संबंधित रक्षी संचिका नहीं है, उनका संधारण कराना सुनिश्चित करें तथा संधारित रक्षी संचिका को अद्यतन रखा जाय।**

(ड.) लम्बित पत्रो की पंजी :– लम्बित पत्रो की पंजी संधारित है, परन्तु अद्यतन नहीं है। चेतावनी दी गई कि उसे अद्यतन कर लिया जाय।

(च) सेवा–पुस्त पंजी :– सेवा–पुस्त पंजी संधारित है। इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रखण्ड में नये पदस्थापित कर्मियों तथा कुछ पुराने कर्मियों जैसे केदार प्रसाद, विजय नन्दन सिंह, पंचायत सचिव का सेवा–पुस्त उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से इस कार्यालय को नहीं भेजा गया है। **निदेश दिया जाता है कि पत्राचार करके सेवा–पुस्त निश्चित रूप से प्राप्त करें।** किसी भी कर्मी का सेवा–पुस्त पदस्थापन कार्यालय में ही रहना आवश्यक है।

(छ) विपत्र पंजी :– विपत्र पंजी संधारित है।

(ज) संदेश वाहक पंजी :–संदेश वाहक पंजी विहित प्रपत्र मे संधारित है।

(झ) कर्म पुस्तिका :–कर्म पुस्तिका संधारित है। कर्म पुस्तिका सभी लिपिक का संधारित किया गया है। लंबित पत्रों को अगले माह अग्रसारित किया गया है। प्रधान सहायक के माध्यम से कर्म पुस्तिका पदाधिकारी के आवश्यक निदेश हेतु उपस्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कर्म–पुस्तिका के कॉलम का विवरण, पंजी में अंकित नहीं किया गया है, जबकि जिला से इस संदर्भ में निदेश प्राप्त हुआ है। **प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें।** प्रधान सहायक ने अपने कर्म–पुस्तिका को विधिवत रूप से भरा है। सभी कार्यालय परिचारियों के लिए अलग–अलग पंजी संधारित है।

(10) लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा / विधान परिषद :–पंजी खोल दिया गया है, लेकिन इसका पूर्व से संधारण नहीं हो रहा है। **इसे संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।**

(11) **<u>मुख्य मंत्री के जनता दरबार से प्राप्त जन शिकायत/मुख्य सचिव से प्राप्त जन शिकायत एवं अन्य जन शिकायत</u>** :–जन शिकायत के लिए पंजी संधारित है, लेकिन सभी प्रकार के जन शिकायत का विवरण एक ही पंजी में अंकित किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार, मुख्य सचिव से प्राप्त जन शिकायत, विभागीय सचिव से प्राप्त जन शिकायत, आयुक्त से प्राप्त जन शिकायत, जिलाधिकारी के जनता दरबार से प्राप्त जन शिकायत, अनुमण्डल पदा0 के जनता दरबार से प्राप्त जन शिकायत पत्र के लिए अलग–अलग पंजी विहित प्रपत्र में संधारित की जाय तथा उसे अद्यतन रखते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दिया जाय।

(12) **<u>माननीय उच्च न्यायालय/निम्न न्यायालयों से संबंधित पंजी</u>** :–अलग अलग संधारित है।

(13) **<u>योजना पंजी</u>** :– सभी योजनाओ के लिए अलग अलग पंजी संधारित है।

(14) **<u>योजनाओ की स्थिति :–</u>**

(क)<u>मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :–</u> वितीय वर्ष 13–14 में इस योजनान्तर्गत 21,85,000 रुपये प्राप्त हुए। सामान्य धटक के मद में 17,0,5000 एवं अनु0 जाति (विशेष धटक) मद में 4,80,000.00 रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ। इसके विरुद्ध 437 का अभिलेख तैयार कर ली गई है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कैम्प आयोजित कर वितरण सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

(ख)<u>पारिवारिक लाभ योजना :–</u>सदर अनुमंडल कार्यालय से वितीय वर्ष 13–14 में पारिवारिक लाभ योजनन्तर्गत 89 अभिलेख स्वीकृति के उपरान्त प्राप्त हुआ है इसमें 18 लाभार्थियों के मध्य राशि वितरित कर दी गई हैं शेष अन्य को 25.10.2013 के कैम्प में वितरित कर दिया जाएगा।

(ग) **<u>कबीर अन्त्येष्टि योजना :–</u>** इस योजनान्तर्गत वितीय वर्ष 2013–14 में मो0–6,60,000.00 रू0का चेक प्राप्त हुआ था, जिसे 20 (बीस) पंचायतो के बीच राशि वितरण कर दी गई है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र ज्ञापांक–2172 दिनांक–19.09.2013 को भेज दिया गया है।

(घ) <u>डीजल अनुदान योजना :–</u> (1) वर्ष 13–14 में (धान एवं बिचड़ा रोपनी) डीजल अनुदान मद में प्राप्त आवंटन मो0–7,81,080.00 रुपये में से मो0–7,04,000.00 रुपये की निकासी की गई है, इसमें से 1407 किसानों के बीच मो0–5,33,150.00 रुपया वितरण कर दिया गया है।

(2) वितीय वर्ष 2013–14 में गन्ना सिंचाई हेतु डीजल अनुदान मद में सामान्य वर्ग के लिए मो0–19 लाख रूपये अनु0जाति वर्ग के लिए मो0–3,15,000.00 लाख रु0, कुल– 22,15,000 (बाईस लाख

पन्द्रह हजार) का आवंटन प्राप्त हुआ है। 558 गन्ना किसानों द्वारा प्रस्तुत डीजल अभिश्रव को संबंधित पेट्रोल पम्प से जाँच करा ली गयी है। विपत्र कोषागार में भेजने की कारवाई की जा रही है।

(ङ.) <u>इन्दिरा आवास योजना :-</u> वितीय वर्ष 13-14 में इस प्रखण्ड के लिए निधारित कुल लक्ष्य 916 है, जिसके विरुद्ध 901 लाभान्वितों को प्रथम किस्त की राशि जारी कर दी गई। इस मद में दिनांक-01.04.2013 को अवशेष राशि मो0-5,09,35,832.00 रू0 था। वित्तीय वर्श-2013-14 में मो0-4,76,27,000.00 रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ इस प्रकार कुल राशि मो0-9,85,62,832 में से 6,02,90,000 रुपये व्यय कर दिया गया है। मो0 तथा 3,82,72832 रुपये अवशेष है।

(च) <u>बी0आर0जी0एफ योजना :-</u>इस योजना में 01.04.2013 को अवशेष राशि मो0-8,43,944.00 रू0 है। वर्ष-2013-14 में प्राप्त आवंटन शून्य है। ब्याज की राशि मो0-49,378.00 रू0 है। कुल उपलब्ध राशि मो0-8,95,322.00 रू0 है, में से मो0-4,98,481.00 रू0 व्यय कर ली गयी है। अवशेष राशि मो0-3,96,841.00 रू0 है।

(छ) <u>तेरहवीं वित आयेाग योजना :-</u>इस योजना मद में दिनांक-01.04.2013 का अवशेष राशि मो0-10,41,464.00 रू0 है। वर्ष-2013-14 में प्राप्त आवंटन मो0-65,11,502.00 रू0 है। ब्याज की राशि 1,10,161.00 रू0 है। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि मो0-76,63,127.00 रुपये में से माह सितम्बर तक 21,14,948.00 रुपये व्यय कर दी गई है। शेष मो0-55,48,179.00 रू0 की योजना निर्माणाधीन है।

(ज) <u>चतुर्थ राज्य वित आयोग योजना :-</u> दिनांक-01.04.2013 का अवशेष 6,35,914.00 रू0 है ब्याज की राशि मो0-38,013.00 रू0 है। वर्ष-2013-14 में प्राप्त आवंटन 26,31,837.00 रू0 है। कुल उपलब्ध राशि 33,05,798.00 रुपये है, जिसमें कुल ब्यय 4,62,353.00 रुपये व्यय कर दी गई है अवशेष राशि मो0 28,23,445.00 रुपये है। वर्ष-2013-14 के लिए के लिए योजना का चयन किया गया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि योजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अन्दर पूर्ण करायें।

(झ) <u>सामाजिक सुरक्षा पेंशन :-</u> सभी कोटि के पेंशनधारियो की कुल सं0-11626 है। सामान्य वर्ग के पेंशनधारियों की कुल सं0-9067 है। अनु0 जाति वर्ग के पेंशनधारियों की कुल सं0-2559 है वर्ष-2013-14 में माह अप्रैल 2013 से माह सितम्बर 2013 तक कुल 06 माह के पेंशन वितरण हेतु कुल मो0-1,81,36,880.00 रुपये का आवंटन प्राप्त है, जिसकी निकासी कर ली गई है। कुल 20 पंचायत में से 19 पंचायत में मो0-1,52,89,600.00 रू0 वितरित कर दी गई है।

(ण) <u>नजारत :-</u>समान्य रोकड. बही दिनांक-21.10.2013 तक संधारित है, जिसके अनुसार अस्थायी अग्रिम मो0 5,92,37,663.00 रुपये समायोजन हेतु लम्बित है। असामायोजित अभिश्रव के रुप में 80,22,820.00 रुपये है।

<u>मदवार एवं बैकवार विवरण निम्न प्रकार है :–</u>

क्र0	रसीद सं0 जहाँ आवश्यक हो	विवरण	राशि
1	2	3	4
1.	2235	सा0सु0 पेंशन	7,5600.00
2.	2235	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	49402,598.50
3.	2235	रा0 मातृत्व लाभ योजना	358.00
4.	2235	रा0पा0 लाभ योजना	3,000.00
5.	2235	रा0 बाल सहाय योजना	1,3500.00
6.	2505	सा0ई0आ0 योजना	52768626.00
7.	2505	अप ग्रेडेशन I.A.Y	NIL
8.	2505	प्रधान मंत्री I.A.Y	NIL
9.	2505	प्रधान मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय योजना	9,37,51.00
10.	2505	कालाजार से प्रभावित I.A.Y	9,000.00
11.	2505	हुडको लाभ योजना	3,6900.00
12.	2505	बुनियादी आवास योजना	5,40000.00
13.	2505	विशेष आवास योजना	NIL
14.	2505	रा0ग्रा0रोजगार योजना	1,46,337.00
15.	4515	विधायक/पार्षद योजना	5,20,427.81
16.	4515	सांसद योजना	6,89,504.00
17.	4515	स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना	4,806.00
18.	4515	जिला योजना	9,220.00
19.	4515	नेहरु रोजगार योजना	7,553.00
20.	4515	शहर सौन्दर्यीकरण योजना	20.00
21.	4515	विशेष अंगीभूत योजना	7,78,901.00
22.	2262	शिक्षा द्वादश वित आयोग	2,13,344.35
23.	2262	एकादश वित आयोग	14,24,19.00
24.	2262	द्वादश वित आयोग	48,722.00
25.	2262	ट्राईसेम योजना	56,035.75
26.	2262	डवाकरा योजना	80,635.00
27.	2245	सहाय योजना	8,000.00
28.	2245	अल्प संख्यक कल्याण	7,46.00
29.	2236	राष्ट्रीय पोषाहार योजना	66,733.00
30.	2236	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	14,29,026.00
31.	2236	पल्स पोलियो टीकाकरण	1,652.85
32.	2236	ईख क्षेत्रीय विकास योजना	NIL
33.	2236	सम्पूर्ण साक्षरता योजना	NIL

34.	2236	उतर साक्षरता कार्यकम	49,329.00
35.	2236	निजी नलकूप/वोरींग	3,93.00
36.	234	वायो गैस योजना	1,555.40
37.	234	I.R.D.P.	8,45,610.46
38.	234	सूद प्राप्त	1,16,01,981.13
39.	3454	जनगणना	27,93,389.00
40.	2015	निर्वाचन	8,79,385.87
41.	2225	कल्याण छात्रवृति	78,66,253.50
42.	2501	ग्राम विकास योजना	6,678.50
43.	2505	रा0ग्रामजि0 गारंटी योजना	NIL
44.	2505	जिला सूचना अधिकार	1,392.00
45.	2401	कृषि	1,77,42,743.00
46.	2515/102	"क" (वेतन)	13,19,655.00
47.	2515/102	"ख" (वेतन)	58,693.85
48.	2505	N.R.E.P.(वेतन)	1,84,709.54
49.	8011	ग्रुप बीमा	90.00
50.	2236	श्रम नियोजन	NIL
51.	8009	G.P.F	NIL
52.	2053	जि0 प्र0	NIL
53.	2071	पेंशन	7,59,163.00
54.		ग्राम कचहरी	10,75,230.00
55.		B.R.G.F	4,86,290.00
56.		कबीर अन्त्येष्टि	NIL
57.		पशुगणना	NIL
58.		13वाँ वित्त आयोग	19,57,912.00
59.		चतुर्थ वित्त आयोग	29,09,861.00
		कुल–	**15,76,87,732.01**

बैंकवार विभिन्न खाताओं में संधारित राशि निम्नवत है :–

क्र0	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1.	1037	उत्तर बिहार ग्रामीण बैक, मोतिहारी	3,709.00
2.	1048	उत्तर बिहार ग्रामीण बैक, मोतिहारी	6,597.00
3.	1062	उत्तर बिहार ग्रामीण बैक, मोतिहारी	5,633.00
4.	1111	उत्तर बिहार ग्रामीण बैक, मोतिहारी	1,436.00
5.	119	उत्तर बिहार ग्रामीण बैक, मोतिहारी	5,11,69.00
6.	7071	उत्तर बिहार ग्रामीण बैक, मोतिहारी	3,69,05.00
7.	6304	उत्तर बिहार ग्रामीण बैक, मोतिहारी	5,62,93,93.00
8.	15182	बैक ऑफ इंडिया, मोतिहारी	1,46,124.00
9.	15196	बैक ऑफ इंडिया, मोतिहारी	3,68,96.00
10.	18241	बैक ऑफ इंडिया, मोतिहारी	1,07,517.00
11.	11472	बैक ऑफ इंडिया, मोतिहारी	2,58,77.00

12.	5537	बैक ऑफ इंडिया, जीवधारा	7,38,67.00
13.	2747	बैक ऑफ इंडिया,ढेकहॉ सिरसा	3,70,88,29.00
14.	2616	इलाहाबाद बैक मोतिहारी	23,28,707.00
15.	5162	इलाहाबाद बैक, मोतिहारी	1,71,30.46
16.	1679305946	सेन्ट्रल बैक ऑफ इंडिया, मोतिहारी	6,77,5067.00
17.	732	केनरा बैक, मोतिहारी	3,97,59.00
18.	1212	केनरा बैक, मोतिहारी	5,49,393.50
19.	2452	केनरा बैक, मोतिहारी	3,98,56.00
20.	2451	केनरा बैक, मोतिहारी	7,14,432.00
21.	2450	केनरा बैक, मोतिहारी	2,51,04.00
22.	2332	केनरा बैक, मोतिहारी	6,56,464.00
23.	21105	केनरा बैक, मोतिहारी	2,56,324.00
24.	21072	केनरा बैक, मोतिहारी	1,26,75,90.00
25.	70953111678	भारतीय स्टेट बैक, मोतिहारी बाजार ब्रान्च	65,24,649.69
26.	01170081230	भारतीय स्टेट बैक, मोतिहारी बाजार ब्रान्च	4,52,811.59
27.	10951714	भारतीय स्टेट बैक, मोतिहारी बाजार ब्रान्च	6,80,10.00
28.	9800	बैक ऑफ बडौदा, मोतिहारी	3,27,340.00
29.	8054	बैक ऑफ बडौदा, मोतिहारी	1,76,628.00
30.	94791	पंजाब नेशनल बैक, मोतिहारी	3,45,788.00
31.	94782	पंजाब नेशनल बैक, मोतिहारी	6,35,97.00
32.	66099	पंजाब नेशनल बैक, मोतिहारी	6,09,16,98.22
33.	56310	पंजाब नेशनल बैक, लखैरा	2,10,93,19.00
34.	1912	सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक	23,257.00
35.	3715	सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक	1,83,748.00
36.	5118	सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक	75,635.00
37.	201/1170	यूनियन बैक I.A.Y मोतिहारी	1,07,86.00
38.	201/3271	यूनियन बैक B.R.G.Fमोतिहारी	40,1000.00
39.	201/3272	द्वादश वित आयेाग	94,303.00
40.	201/4413	13वॉं वित्त आयोग	19,57,912.00
41.	3111964640	सेन्ट्रल बैक ऑफ इंडिया ,बसतपुर	1,37000.00
42.	23575	यूनाईटड बैक, मोतिहारी	5,24,377.00
43.	973981075	इंडियन बैक, मोतिहारी	17,38,795.00
44.	6035755263	इंडियन बैक, चतुर्थ वित आयोग	2,83,89,61.00
45.	3347	उत्तर बिहार ग्रामीण बैक, बरियारपुर	3,04,65000.00
46.	8656	उत्तर बिहार ग्रामीण बैक, बरियारपुर	17,93,260.00
47.	2180	उत्तर बिहार ग्रामीण बैक, बरियारपुर	42,35,480.00
48.	16501450000016	H.D.F.Cबैक, मोतिहारी	1,50,84.00
49.	911010045674556	AXISबैक, मोतिहारी	12,30,605.00
50.	285101000000951	इंडियन ओभरसीज बैक	8,11,827.00
51.	1075104000019619	I.D.B.I बैक, मोतिहारी	26,77,588.00

52.	16501450000040	H.D.F.C बैक, मोतिहारी	3,000.00
53.	1080011030009198	उत्तर बिहार ग्रामीण बैक, मठिया जिरात	1,54000.00
54.	3259561482	सेन्ट्रल बैक ऑफ इंडिया,गोढवा	2,250000.00
55.	30045	बैक भारतीय स्टेट बैंक, ए0डी0बी0, मोतिहारी	1,973.12
			90,28,72,11.58
56.	अभिश्रव		80,22,820.30
57.	अग्रिम		5,92,37,663.04
58.	J.E.E P.W.Dमुजफ्फरपुर		5,500.00
59.	गवन की राशि		1,19,666.58
60.	डब्ललौक		**NIL**
61.	सिंगल ताला		14,870.51
		कुल योग—	**15,76,87,732.01**

नजारत के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिया जाता है :—

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन :—इस योजना के तहत राशि का भुगतान पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। पूर्व से ही इस कार्यालय से भुगतान नहीं किया जाता है। राशि सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को वापस करने का निदेश दिया गया।

(2) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन :— प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि इस योजना के तहत किसी प्रकार का भुगतान लंबित है तो भुगतान की कार्रवाई करें। यदि भुगतान लंबित नहीं है तो राशि सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को वापस करें।

(3) राष्ट्रीय मातृत्व योजना :—प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अवशेष राशि मो0—398.00 रू0 को चेक के माध्यम से सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा का लौटाएँ।

(4) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :— निदेश दिया गया कि इस योजना के तहत पड़ी अवशेष राशि मो0—3000.00 रू0 को चेक के माध्यम से सहायक निदेशक,. सामाजिक सुरक्षा को वापस करें। इस योजना की स्वीकृति अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा दी जाती है एवं अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा ही लाभार्थियों को चेक के माध्यम से राशि दी जाती है।

(6)सा0आई0ए0वाई0 :—निदेशित किया गया कि सा0 आई0ए0वाई0, अपग्रेडेशन आई0ए0वाई0, प्रधानमंत्री आई0ए0वाई0, प्रधानमंत्री अन्तर्राष्ट्रीय योजना, कालाजार से प्रभावित आई0ए0वाई0 योजना, बुनियादी आवास योजना एवं विशेष आवास योजना की राशि को इंदिरा आवास में merge करते हुए सबसीडरी पंजी को बन्द करें।

(10) कालाजार आई0ए0वाई0 :—पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 09 लाभार्थियों का अंतिम किस्त का भुगतान हेतु लंबित है, जिसमें 06 पंचायतों का प्रतिवेदन प्राप्त है। लाभार्थियों को अंतिम भुगतान करने के पश्चात् सबसीडरी पंजी बन्द करें।

(11) हुडको :– 36,000 रू0 अवशेष है। सबसीडरी पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह वर्ष–1996–97 का कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवास से संबंधित योजना है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि इस योजना में भुगतान लंबित है तो भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें, यदि लंबित नहीं है तो जिला कल्याण पदाधिकारी को वापस करें तथा सबसीडरी पंजी बन्द करें।

(14) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना :– बची हुई राशि को चेक के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को वापस करने का निदेश दिया गया।

(15) विधायक/पार्षद योजना :–इस योजना में 5,20,427.00 रू0 अवशेष है। यह योजना बन्द हो चुकी है। अब यह प्रखण्ड के माध्यम से संचालित नहीं है। इस राशि को कोषागार में जमा शीर्ष में वापस करें।

(16) सांसद योजना :– इस योजना में 6,89,504.00 रू0 अवशेष है। अवशेष राशि को चेक के माध्यम से जिला योजना पदाधिकारी को लौटाने का निदेश दिया गया।

(17) एस0जी0एस0वाई0 :–योजना बन्द हो चुकी है। अवशेष राशि को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को वापस करने का निदेश दिया गया।

(18) जिला योजना :– यह योजना बन्द हो चुकी है। अवशेष राशि को जिला योजना पदाधिकारी को लौटाने का निदेश दिया गया।

(19) नेहरू रोजगार योजना :– यह योजना बन्द हो चुकी है। अवशेष राशि को उप विकास आयुक्त को लौटाने का निदेश दिया गया।

(20) शहर सौन्दर्यीकरण योजना :– यह योजना बन्द हो चुकी है। अवशेष राशि को उप विकास आयुक्त को लौटाने का निदेश दिया गया।

(21) विशेष अंगीभूत योजना :– विशेष अंगीभूत योजना के सबसीडरी पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक–17.06.2011 के बाद कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया है। इस मद में कुल 7,80,901.00 रू0 अवशेष है। इसमें सूद की राशि भी शामिल नहीं है।

(22) शिक्षा द्वादश वित्त आयोग :– द्वादश वित्त आयोग के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के मद में 2,13,344.00 रू0 अवशेष दर्शाया जा रहा है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह आवंटन 2001–02 का है, जिसके अन्तर्गत विद्यालय में शौचालय/चापाकल की सुविधा उपलब्ध कराना है। सबसीडरी पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 2001 से लगातार कतिपय वर्षों में योजना का चयन कर कार्रवाई की जा रही है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसके अन्तर्गत पूर्व की कोई योजना लंबित नहीं है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि चूंकि राशि चेक के माध्यम से प्राप्त हुई है। अतएव चेक से ही कोषागार में जमा करें।

(23) एकादश वित्त आयोग :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि इस योजना में भुगतान के लिए कोई दावा है तो भुगतान की कार्रवाई करें। यदि दावा नहीं है तो निर्धारित शीर्ष में कोषागार में जमा करें।

(25) <u>ट्राइसेम :–</u> उप विकास आयुक्त के पदनाम से चेक द्वारा डी0आर0डी0ए0 में जमा करने का निदेश दिया गया। यह राशि एस0जी0एस0वाई0 मद में जमा होगी।

(26) <u>ड्वाकरा :–</u> उप विकास आयुक्त के पदनाम से चेक द्वारा डी0आर0डी0ए0 में जमा करने का निदेश दिया गया। यह राशि एस0जी0एस0वाई0 मद में जमा होगी।

(27) <u>सहाय योजना :–</u> यह फसल क्षति की राशि है, जिसमें 8,000.00 रू0 अवशेष है। निर्धारित शीर्ष में कोषागार में जमा करने का निदेश दिया गया।

(28) <u>अल्पसंख्यक कल्याण :–</u> यह 4225 मद की राशि है, जिसमें 746.00 रू0 अवशेष है। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष–2001–02 में स्वीकृत की हुई योजना है। यह राशि चेक के माध्यम से उप विकास आयुक्त को उपलब्ध कराई गई है। योजना पंजी एवं अभिलेख को अद्यतन करते हुए यदि कोई भुगतान के लिए दावा है तो भुगतान की कार्रवाई करें। यदि नहीं है तो उप विकास आयुक्त को चेक के माध्यम से वापस करें।

(29) <u>राष्ट्रीय पोषाहार योजना :–</u> यह 2236 मद की राशि है। अवशेष राशि को कोषागार में निर्धारित शीर्ष में जमा करने का निदेश दिया गया।

(30) <u>मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :–</u> कैम्प आयोजित कर शत–प्रतिशत राशि वितरण करने का निदेश दिया गया।

(31) <u>पल्स पोलियो योजना :–</u> अवशेष राशि को चेक के माध्यम से ए0सी0एम0ओ0 को वापस करने का निदेश दिया गया।

(32) <u>ईख क्षेत्रीय विकास योजना :–</u> यह योजना बन्द हो चुकी है तथा अवशेष राशि भी शून्य है। सबसीडरी पंजी को बन्द करने का निदेश दिया गया।

(33) <u>संपूर्ण साक्षरता योजना :–</u> यह योजना बन्द हो चुकी है तथा अवशेष राशि भी शून्य है। सबसीडरी पंजी को बन्द करने का निदेश दिया गया।

(34) <u>उत्तर साक्षरता योजना :–</u> अवशेष राशि को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को चेक से वापस करने का निदेश दिया गया।

(35) <u>निजी नलकूप/बोरिंग :–</u> अवशेष राशि को चेक के माध्यम से उप विकास आयुक्त को वापस करने का निदेश दिया गया।

(36) <u>बायोगैस योजना :–</u> अवशेष राशि को चेक के माध्यम से उप विकास आयुक्त को वापस करने का निदेश दिया गया।

(37) <u>आई0आर0डी0पी0 :–</u> अवशेष राशि को चेक के माध्यम से उप विकास आयुक्त को वापस करने का निदेश दिया गया। यह राशि मनरेगा के खाते में जाएगी।

(39) <u>जनगणना :–</u> उपलब्ध राशि का 80 प्रतिशत प्रगणक को देते हुए नियमानुकूल भुगतान का निदेश दिया गया।

(40) **निर्वाचन :–** सबसीडरी पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायत निर्वाचन के नामांकन शुल्क के रूप में प्राप्त राशि सबसीडरी पंजी में रखा गया है। उक्त राशि को कोषागार में निर्धारित शीर्ष में जमा करने का निदेश दिया गया।

(41) **कल्याण छात्रवृति :–** अवशेष राशि को निर्धारित शीर्ष में कोषागार में जमा करने का निदेश दिया गया।

(42) **ग्राम विकास योजना :–** चूंकि योजना बंद हो चुकी है। अतएव सबसीडरी पंजी को बन्द करते हुए अवशेष राशि को कोषागार में जमा करने का निदेश दिया गया।

(43) **रा0ग्रा0जि0 योजना :–** योजना बन्द हो चुकी है तथा अवशेष राशि शून्य है। अतएव सबसीडरी पंजी को बन्द करने का निदेश दिया गया।

(44) **सूचना का अधिकार :–** प्राप्त पोस्टल ऑर्डर को पोस्ट ऑफिस से कैश कराकर निर्धारित शीर्ष में कोषागार में जमा करने का निदेश दिया गया।

(45) **कृषि :–**इस योजना के तहत 177,42,743.00 रू0 अवशेष कैश बुक में दर्शाया जा रहा है। यह राशि कोषागार से निकासी कर वितरण हेतु रखा गया है। डीजल अनुदान की राशि भी इसी कैश बुक में संधारित है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पंचायतों द्वारा वितरित राशि का अभिश्रव असमायोजन हेतु लंबित है।

(46) **2515 "क" (वेतन) :–** इस मद में 13,19,655.00 रू0 अवशेष दर्शाया जा रहा है। यह राशि पंचायतों के जन–प्रतिनिधियों के भत्ते एवं मानदेय की राशि है।

(47) **2515 "ख'(वेतन) :–** यदि भुगतान हेतु दावा है तो भुगतान की कार्रवाई करें। यदि नहीं है तो निर्धारित शीर्ष में कोषागार में जमा करना सुनिश्चित करें।

(48) **एन0आर0ई0पी0(वेतन) :–** कोषागार में निर्धारित शीर्ष में जमा करने का निदेश दिया गया।

(49) **ग्रुप बीमा :–** कोषागार में निर्धारित शीर्ष में जमा करने का निदेश दिया गया।

(50) **श्रम नियोजन :–** सबसीडरी पंजी बन्द करने का निदेश दिया गया।

(51) **जी0पी0एफ0 :–** सबसीडरी पंजी बन्द करने का निदेश दिया गया।

(52) **जि0प्र0 :–** सबसीडरी पंजी बन्द करने का निदेश दिया गया।

(53) **पेंशन :–** यह राशि गुलशन कुमार सिंह के पेंशन की राशि बतायी जा रही है। उनके विरूद्ध गबन का मामला चल रहा है। मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। मामले की समीक्षा कर नियमानुकूल भुगतान कार्रवाई की जाय, अथवा अवशेष राशि निर्धारित शीर्ष में कोषागार में जमा की जाय।

(54) **ग्राम कचहरी :–** यह राशि पंच/सरपंच को भुगतेय है। इस राशि को कैम्प आयोजित कर भुगतान करने का निदेश दिया गया।

Q

(55) <u>बी0आर0जी0एफ0 :–</u> इस मद में कुल 4,86,290.00 रू0 अवशेष के रूप में पड़ी हुई है। नियमानुसार व्यय करें।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा प्रस्तुत की गई सूची में इस कार्यालय के तहत बैंकों में कुल 55 खाते संधारित पायी गई। बैंकों को निम्नांकित निदेश दिये गए :–

1. सभी बैंक खातों के पासबुक को अद्यतन करें।
2. वैसे खाते जो पुराने है तथा वर्त्तमान में संचालित नहीं है तथा जिस खाते की राशि को कोषागार में जमा करने का निदेश है, वैसे खातों को बन्द किया जाय।
3. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में प्रत्येक योजना के लिए एक ही खाता संधारित करना है तथा प्रत्येक मद में सूद की राशि को उसी मद में व्यय किया जाना है। दुसरे बैंक खातों को योजनावार बन्द कर अलग कर लें।

   निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड कार्यालय के कतिपय कमरों में दीमक लगा हुआ है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भवन निर्माण विभाग से एन्टी दीमक ट्रीटमेन्ट मरम्मति हेतु कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि यदि हाथ से लिखे प्रतिवेदन जिला मुख्यालय में भेजे जाते है तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का वेतन बन्द किया जाएगा।

जितने निदेश दिये गए है, उसके अनुपालन की कार्रवाई का अनुश्रवण प्रखण्ड के मेन्टर एवं उप विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा। नजारत का निरीक्षण दो माह के पश्चात् उप विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा। इसके पूर्व दिए गए सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

<u>निष्कर्ष</u> :–<u>प्रखंड का वित्तीय प्रबंधन अत्यन्त ही खराब है। कतिपय पुराने योजनाओं की राशि अवशेष है। लगभग विगत दस सालों में न तो उप विकास आयुक्त और न ही निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण के द्वारा निरीक्षण किया गया है। इस निरीक्षण के तीन माह के अन्दर उप विकास आयुक्त पुनः निरीक्षण कर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।</u>

(श्रीधर सी0)
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञाप संख्या– 77 /गो0 मोतिहारी, दिनांक– 11 वीं जनवरी, 2014

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मेन्टर पदाधिकारी, मोतिहारी प्रखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीधर सी0)
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञाप संख्या– 77 /गो0 मोतिहारी, दिनांक– 11 वीं जनवरी, 2014

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी0)
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।